संख्या-13/1/3/2011-का-4-2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 04 अगस्त, 2014**

विषय:-उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश संख्या-15/10/94(2)-का-4-2013, दिनांक 13.2.2013 के संबंध में विभिन्न स्रोतों से की गयी जिज्ञासाओं के संबंध में निम्न स्थिति/ स्पष्टीकरण से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है-

(1) शासनादेश संख्या-15/10/94(2)-का-4-2013, दिनांक 13.2.2013 के माध्यम से की गयी व्यवस्था में उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रूपये-2400.00 अनुमन्य होगा।

(2) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक को प्रथम पदोन्नति के रूप में 15 वर्ष की सेवा पर पद सहित उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक पदनाम, वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रूपये-2800.00 अनुमन्य होगा। यह उसके लिए प्रथम पदोन्नति की भांति होगा और उक्त पद पर उसका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 4.5.2010 के प्रस्तर-4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(3) उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त कार्मिक, एक पदोन्नति प्राप्त कार्मिक की भांति होगा और उसे उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पर द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-796/दस-2014, दिनांक 18 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/2011(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
4. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5**
5. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
6. **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2**
7. **सचिवालय के समस्त अनुभाग।**

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी

http://Shasanadesh.up.nic.in